© Govt. of Haryana

No. 99–2021/Ext.] p.Mhx<+] cq/kokj] fnukad 23 twu] 2021
(2 आषाढ, 1943 शक)

fo/kk;h ifjf'k"V

Øekad	fo"k; oLrq	i`"B
PartI	अधिनियम dqN ughaA	
PartII	v/;kns'k dqN ughaA	
PartIII	प्रत्यायोजित विधान अधिसचना संख्या का०आ० 33/के०अ० 35/2019/धा० 102/2021, दिनांक 23 जन, हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रकाशन बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	311—316
PartIV	षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन dqN ughaA	

(xlvii)

Part&III

gfj;k.kk ljdkj

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

notification

fnukad 23 twu] 2021

la[;k dkåvkå 33@dsåvå 35@2019@/kkå 102/2021.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019(2019 का केन्दीय अधिनियम 35) की धारा 102 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (ज) तथा(ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियमcukrs gS] vFkkZr~ %&

1- (1) ये नियम हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन, भŸो तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2021 कहे जा सकते है। संक्षिप्त नाम औरप्रारम्भ।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

2- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- ifjHkk"kk,aA
(K) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 अधिनियम 35);
(ख) 'सदस्य' से अभिप्राय है, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो,dk lnL;(
(c)'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो,dk v/;{k(

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों औरअभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिये गये है।

3- अध्यक्ष निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा,- जिला आयोग के अध्यक्ष को भुगतानयोग्य तथा भŸो।
(i) ftyk U;k;k/kh’k To ;Fkk vuqKs; U;wure lSysD’ku xszM vFkkZr~ 57700&1230&58930&1380&67210&1540&70290@& esa osru vFkok द्वारा, समय-समय पर, यथा पनरीक्षित वेतनमान में वेतन। यदि अध्यक्ष कोई

(ii) (पेंषन+संराष्िात पेंषन, यदि कोई हो) प्राप्त कर रहा है, तो उसे उसके वेतन से घटायाtk,xk;

(iii) (iv) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर टेलिफोन/मोबाईल/ब्राडबैण्ड इत्यादि भत्ता;हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता

(v) अथवा पुनर्नियुक्ति केमामले में, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते), नियम, 2016 के नियम 27ds vuqlkj edku fdjk;k HkRrk(

(vi) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेषों के ग्रेड-।। में आने वाले हरियाणासरकार के ग्रुप-क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

(vii) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते) नियम, 2016 के उपबंधों के vuqlkj fpfdRlk HkRrkA

जिला आयोग के भुगतानयोग्य वेतन तथा भŸो।

4- सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे,-

(i) प्रतिमास 55,000/- रूपए नियत मानदेय। 3 प्रतिषत (प्रत्येक वर्ष नियत 1650/- रूपए) की दर पर वार्षिक वृद्धि की जायेगी;

(ii) दो हजार रूपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(iii) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;

(iv) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेषों के ग्रेड-।।। में आने वाले सरकार के ग्रुप-क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूराहोने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);

(v) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दस दिन का आकस्मिक अवकाष;

राज्य आयोग केअध्यक्ष को वेतन तथा भŸो।

5- (i) राज्य आयोग का अध्यक्ष, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत यथा लागू वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ii) अध्यक्ष के रुप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो पेंषन (पेंषन +संराष्िात पेंषन, यदि कोई ... tk,xkA

राज्य आयोग के सदस्य को भुगतानयोग्य वेतन तथा भŸो।

6- सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे,-

(i) प्रतिमास 80,000/- रूपए नियत मानदेय। 3 प्रतिषत (प्रत्येक वर्ष नियत 2400/- dh nj ij okf"kZd o`f) dh tk;sxh(

(ii) दो हजार रूपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(iii) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर चिकित्सा भत्ता, किन्तु किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा;

(iv) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर टेलिफोन/मोबाईल/ब्राडबैण्ड इत्यादि भत्ता;

(v) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;

(vi) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेषों के ग्रेड-।। में आने वाले हरियाणा ... समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);

¼vii½ izR;sd dSys.Mj o"kZ esa nl fnu dk vkd~fLed vodk'kA

vkdfLed fjfDrA

7. राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी स्थिति हो, में अध्यक्ष के पद की आकस्मिक ... करने की शक्ति होगी।

foŸkh; rFkk अन्य हितो कीघोषणा।

8- अध्यक्ष अथवा सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पहले, अपनी आस्तियों, अपने दायित्वों और अन्य हितों की घोषणा करेगा।

lsok dh vU;

9- (i) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, से होने के पश्चात राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा;

(ii) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, इन में कार्य करते हुए किसी प्रकार का मध्यस्थता का कार्य नहीं करेगा ।

(iii) राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष अथवा सदस्य, उस तिथि, जिसको वे पद पर बने नहीं रहते हैं, से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार रहा हो, के प्रबंधन अथवा प्रषासन में, अथवा उससे संबधित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं djsxk%

परंतु इस नियम में दी गई कोई बात, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवाकिसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी वैधानिक प्राधिकरण अथवा किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीयअधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 काकेन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी केअधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

पद और गोपनीयता की'kiFkA

10. अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमोंसे संलग्न प्ररूप-। में पद की शपथ तथा प्ररूप-।। में गोपनीयता की शपथ लेगा।

11. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि में से किया

प्ररुप-।

(देखिए नियम 10)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररुप

मैं, ..., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरियाणा/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ...के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईष्वर के नाम से शपथ लेता हूं कि मैंअपनी सर्वोतम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में अपने कर्तव्यों कानिष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन कंरुगां और किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा तथा मैंसविधान और देष की विधि की रक्षा करुँगा।

LFkk
u

v/;{k@lnL; ds gLrk{kj

प्ररुप-।।

(देखिए नियम 10)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररुप

मैं, ..., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरियाणा/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ...के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईष्वर के नाम से शपथ लेता हूं कि मैं,अध्यक्ष/सदस्य के रुप में मेरे कर्तव्यों के सम्य्क निर्वहन के लिए यथा अपेक्ष्िात के सिवाय, मेरे विचारार्थ प्रस्तुत किए गएअथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में मुझे ज्ञात हुए, किसी मामलें को किसी व्यक्ति अथवाव्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करुगां।

LFkk
u

v/;{k@lnL; ds gLrk{kj

अनुराग रस्तोगी,

vij eq[; lfpo] gfj;k.kk ljdkj]

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग।